| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>डी.आर. मेघवाल बनाम लो.सू.अ. ( तहसीलदार लूणी )<br>सू.अ.अ. अपील संख्या 66/2018 | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 23.05.18 | पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी डी.आर. मेघवाल पुत्र प्रेमाराम मेघवाल पता गांव सरेंचा(बस स्टेण्ड के पास) तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक ....... में उसके द्वारा (1) कार्यालय तहसील लूणी द्वारा ग्राम पंचायत सरेंचा क कुल कितने पट्टों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया की जानकारी वर्ष 2015 से 2017 तक व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी ) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( तहसीलदार लूणी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी उपस्थित।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष ( तहसीलदार लूणी ) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अपील मीमों के साथ संलग्न दस्तावेज का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिन दो बिन्दुओं बाबत् सूचना चाही गई वो तहसीलदार लूणी द्वारा अपने पत्रांक 52 दिनांक 26.02.18 के जरिये प्रार्थी को प्रेषित की जा चुकी है, स्वयं प्रार्थी ने उक्त पत्र की प्रति भी संलग्न की है। दूसरी ओर अपील में अपीलार्थी जाहिर करता है कि प्रत्यर्थी ने आज दिनांक तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है, जो कथन विश्वास योग्य नहीं है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है ऐसी स्थिति में यह अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |

Scanned with CamScanner